नकल आदेश दि० 17/4/09

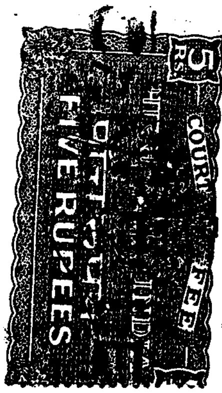

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, इलाहाबाद ।

वाद संख्या 10 सन् 2009

धारा 143 उ० प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम ।

ग्राम रहीमाबाद परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद ।

संस्थान सेन्टर फार संस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन

18ए आकलैण्ड रोड, द्वारा अध्यक्ष डा० दीनानाथ तिवारी

बनाम

सरकार

निर्णय

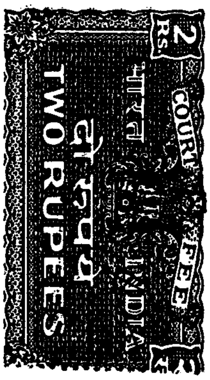

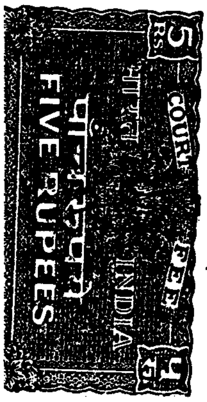

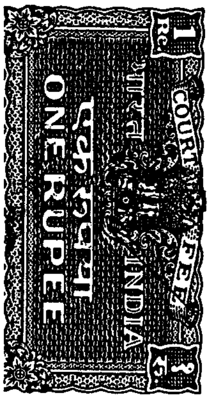

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा इस कथन के साथ योजित किया गया है कि ग्राम रहीमाबाद परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद की आराजी संख्या 26/0.268, 30/0.114, 58/0.019, 59/0.205, 61/0.104, 62/0.200, 63/2.425, 73/0.563, 74/0.203, 75/0.073, 76/0.016, 79/0.171, 79/2 रकबा 1.113, 82/0.051, 56/0.228 84/0.367, 100/0.734, 90/0.237, 111/0.465, 112/0.251 के संक्रमणीय भूमिधर है तथा मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है पिछले कई सालों से खेती नहीं की जा रही है । उपरोक्त आराजी पर शम्भूनाथ इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी नाम विद्यालय की इमारत खड़ी है । इस आराजी के अगल बगल भी उक्त विद्यालय की इमारत बनी है । उत्थान संस्थान द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु शिक्षण कार्य तकनीकी माध्यमिक, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सीय शिक्षा किया जा रहा है । इस कारण शिक्षण संस्था तकनीकी, चिकित्सीय माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा हेतु अकृषिक घोषित किया जाय । पत्रावली तहसीलदार सदर को स्थानीय परीक्षण हेतु भेजी गयी । नायब तहसीलदार दक्षिणी द्वारा अपनी आख्या प्रेषित की जिसे तहसीलदार सदर द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया । मैंने पत्रावली पर उपलब्ध राजकीय अभिलेखों एवं नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार सदर की स्थलीय/अभिलेखीय आख्या का विधिवत परीक्षण किया । नायब तहसीलदार दक्षिणी द्वारा अपनी आख्या में यह अंकित किया गया है कि उपरोक्त आराजियात वादी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है । उक्त समस्त भूमियों पर कई वर्षों से कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि गैर कृषिक उपयोग हो रहा है । उक्त भूखण्ड को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है । जिसे तहसीलदार सदर द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है । चूँकि भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि शिक्षण कार्य हेतु उपयोग उपभोग किया जा रहा है, इस कारण शिक्षण कार्य हेतु अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है

क्रमशः---2

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिया जाता है कि स्थापित शिक्षण संस्थान को उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए एवं कृषि कार्य न होने के कारण ग्राम रहीमाबाद परगना व तहसील सदर, इला० स्थित आराजी संख्या 26/0.268, 30/0.114, 58/0.019, 59/0.205, 61/0.104, 62/0.200, 63/2.425, 73/0.563, 74/0.203, 75/0.073, 76/0.016, 56/0.328, 279/2 रकबा 1.113, 82/0.051, 84/0.367, 100/0.734, 90/0.237, 111/0.465, 112/0.251 हे० व 79/0.171 हे० को शिक्षण संस्था तकनीकी, चिकित्सीय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो। आदेश की सत्यापित प्रति उप निबंधक सदर, प्रथम/द्वितीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 17.2.2009

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
उप जिलाधिकारी, सदर
इलाहाबाद।

(110)

25/2/09
25/2/09
25/2/09
6007/-
13-00

सत्यापित
25/2/09
कार्यालय उप जिलाधिकारी
सदर, इलाहाबाद

भूमिधर अंकित है।